भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *48
06 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कार्यान्वित योजनाएं

***48. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:**
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश भर में विशेष रूप से महाराष्ट्र के उस्मानाबाद और परभणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के आकांक्षी जिलों में सरकार द्वारा स्थापित उद्योगों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र के उक्त जिलों से प्राप्त प्रस्तावों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है';

(ङ) क्या उक्त जिलों में सोयाबीन की अच्छी पैदावार को देखते हुए महाराष्ट्र में सोयाबीन खाद्य तेल, खली (डी-ऑयल केक) और अन्य उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किसी विशेष योजना पर विचार किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए विगत पांच वर्षों के दौरान धाराशिव और परभणी जिलों में आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 06 फरवरी, 2025 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कार्यान्वित योजनाएं" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या †*48 के भाग (क) से (च) तक के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) महाराष्ट्र के उस्मानाबाद और परभणी जिलों सहित पूरे देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) को वर्ष 2016-17 से और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) को वर्ष 2021-22 से और केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना को वर्ष 2020-21 से लागू कर रहा है। ये योजनाएं क्षेत्र या राज्य विशेष नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना के निर्माण के लिए उद्यमियों को ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान की जाती है, जिससे 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए कुल परिव्यय 5520 करोड़ रुपये के साथ देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलता है।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है । यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2025-26 तक की अवधि के लिए लागू है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण में सहायता करना तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को सहायता प्रदान करना है। यह योजना 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021-22 से 2026-27 तक की अवधि के लिए लागू है ।

(ख) से (घ) : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपने आप कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता है। हालाँकि, यह महाराष्ट्र के आकांक्षी जिलों सहित देश भर में अपनी योजनाओं के माध्यम से ऐसे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है । वर्ष 2019-20 से महाराष्ट्र के आकांक्षी जिलों (गढ़चिरौली, नंदुरबार , उस्मानाबाद और वाशिम) में इन योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है ।

स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण अपनाया गया है ताकि इनपुटआदानों की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने का लाभ उठाया जा सके। यह मूल्य श्रृंखला विकास और सहायक अवसंरचना के संरेखण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। ओडीओपी की पहचान राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कृषि उत्पादन, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पाद के विकारी होने की क्षमता आदि के आधार पर की जाती है।

(ङ): मंत्रालय संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार सोयाबीन खाद्य तेल, डी-आयल्ड केक सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए भावी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

(च): सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कृषीतर क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का क्रियान्वयन किया जा रहा है । उक्त योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके घर के दरवाजे पर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान वितरित सूक्ष्म इकाई सहायता प्राप्त मार्जिन मनी सब्सिडी के संदर्भ में महाराष्ट्र के उस्मानाबाद / धाराशिव और परभणी जिलों में पीएमईजीपी का प्रदर्शन निम्नानुसार है:-

ज़िला	2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024	
	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	वितरित एमएम (लाखों रुपए में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	वितरित एमएम (लाखों रुपए में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	वितरित एमएम (लाखों रुपए में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	वितरित एमएम (लाखों रुपए में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	वितरित एमएम (लाखों रुपए में)
धाराशिव (उस्मानाबाद)	117	292.16	64	153.30	103	186.21	94	182.34	53	146.15
परभणी	87	119.88	41	66.39	73	88.14	50	68.45	43	81.60

*एमएम- मार्जिन मनी

इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय द्वारा गत पॉच वर्षों (2019-2020 से 2023-2024) के दौरान कार्यान्वित पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के धाराशिव और परभणी जिलों में अनुमोदित परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	जिले	ऋण से जुड़ी सब्सिडी के साथ अनुमोदित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या	प्रारंभिक पूंजी के लिए सहायता प्राप्त स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या	
			एसएचजी सदस्यों को मंजूरी दी गई	एसएचजी स्वीकृत राशि (करोड़ रु .)
1	धाराशिव (उस्मानाबाद)	406	999	3.77
2	परभणी	270	1102	4.02

*****

अनुबंध

दिनांक 06 फरवरी, 2025 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कार्यान्वित योजनाएं" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या †*48 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क. वर्ष 2019-20 से महाराष्ट्र के आकांक्षी जिलों (गढ़चिरौली , नंदुरबार , उस्मानाबाद और वाशिम) में पीएमकेएसवाई की घटक योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ज़िला	अनुमोदन का दिनांक	परियोजना लागत (रु . करोड़ में)	स्वीकृत सहायता अनुदान (करोड़ रुपए में)
घटक योजना-कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर योजना के लिए अवसंरचना					
1	मेसर्स रेवा तापी वैली औद्योगिक विकास	नंदुरबार	01.08.2019	27.06	10.00
2	मेसर्स बाहेती कृषी समुहा एलएलपी	वाशिम	16.03.2021	12.54	2.85
घटक योजना- खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना					
2	मेसर्स बाहेती फ़ूड प्रोसेसर्स	वाशिम	05.12.2022	11.1053	1.64
4	मेसर्स सुपर स्पाइसेज	नंदुरबार	24.01.2023	4.1283	1.73
5	मेसर्स रेवा तापी औद्योगिक विकास	नंदुरबार	24.01.2023	8.9349	3.70
6	मेसर्स रेवा तापी वैली औद्योगिक विकास (यूनिट-2)	नंदुरबार	24.01.2023	2.7881	1.15
7	मेसर्स सनराइज रोलर फ्लोर मिल	नंदुरबार	24.01.2023	11.989	5.00
8	मेसर्स बाहेती सॉल्वेंट प्राइवेट लिमिटेड	वाशिम	24.01.2023	45.5286	5.00
9	मेसर्स सनशाइन राइस मिल	नंदुरबार	24.01.2023	9.4869	4.10

ख. पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से महाराष्ट्र के आकांक्षी जिलों (गढ़चिरौली, नंदुरबार , उस्मानाबाद और वाशिम) में अनुमोदित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आधारित प्रस्ताव

क्र.सं.	**ज़िला**	ऋण से जुड़ी सब्सिडी के साथ अनुमोदित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या	प्रारंभिक पूंजी के लिए सहायता प्राप्त स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या	
			एसएचजी सदस्यों को मंजूरी दी गई	एसएचजी स्वीकृत राशि (करोड़ रु . में)
1	धाराशिव (उस्मानाबाद)	406	999	3.77
2	गडचिरोली	268	387	1.40
3	नंदुरबार	488	526	1.80
5	वाशिम	401	1028	3.76

*****